

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
अधिसूचना

संख्या-02/कर/शुल्क-10/2021, परि0 6941 पटना, दिनांक-22/8/2025

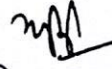
बिहार मोटरवाहन करारोपण (यथासंशोधित) अधिनियम, 1994 की धारा-15 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम-51 क के आलोक में मोटर यान (यान स्क्रेपिंग सुविधा का रजिस्ट्रीकरण और कार्य) नियम, 2021 के अन्तर्गत वाहनों के स्क्रेपिंग सुविधा रजिस्ट्रीकरण और कृत्य से संबंधित कार्यों के क्रियान्वयन हेतु बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत निर्मित अनुसूची-V के क्रम संख्या-1 के पश्चात् क्रम संख्या-2 निम्नरूप से जोड़ा जाता है :-

अनुसूची- V

क्र०सं०	प्रयोजन	मोटरवाहन कर में रियायत
2	यदि वाहन "निक्षेप प्रमाण-पत्र" (Certificate of Deposit) प्रस्तुत करने के लिए रजिस्ट्रीकृत किया जाता है, तो मोटरयान के निबंधन के समय यान का स्क्रेपिंग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर।	उत्सर्जन मानक Bharat Statge-I एवं पूर्व के उत्सर्जन मानक के अनुसार निर्मित सभी परिवहन और गैर परिवहन यान तथा उत्सर्जन मानक Bharat Statge-II के अनुसार निर्मित सभी मध्यम और भारी मालयान/यात्री मोटरयान को रजिस्ट्रीकृत स्क्रेपर के माध्यम से वाहन स्क्रेप करा कर निक्षेप प्रमाण-पत्र (Certificate of deposit) प्रस्तुत करने पर मोटरवाहन कर में 50% छूट दिया जायेगा।

2. यह अधिसूचना बिहार गजट में इसके प्रकाशन की तिथि से 05 कार्यदिवस के पश्चात् प्रभावी होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।


(मिहिर कुमार सिंह)

सरकार के अपर मुख्य सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-02/कर/शुल्क-10/2021, परि0 6941 पटना, दिनांक-22/8/2025

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा संयुक्त सचिव, ई०गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी०डी० सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक-02/कर/शुल्क-10/2021, परि0 6941 पटना, दिनांक- 22/8/2025

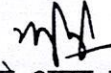
प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/
प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/विधि परामर्शी-सह-सचिव, विधि विभाग,
बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।



सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक-02/कर/शुल्क-10/2021, परि0 6941 पटना, दिनांक- 22/8/2025

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, बिहार के आप्त सचिव/अपर मुख्य
सचिव, परिवहन विभाग के प्रधान आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार के आप्त
सचिव/सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/सभी जिला
परिवहन पदाधिकारी, बिहार/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी
सहित)/सभी प्रवर्तन पदाधिकारी/सभी मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रवर्तन निरीक्षक एवं
प्रवर्तन अवर निरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

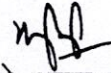


सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक-02/कर/शुल्क-10/2021, परि0 6941 पटना, दिनांक- 22/8/2025

प्रतिलिपि:- राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, बिहार, पटना को
सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि उपर्युक्त अधिसूचना के आलोक में विभागीय सॉफ्टवेयर
में आवश्यक संशोधन करने की कृपा की जाय।



सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक-02/कर/शुल्क-10/2021, परि0 6941 पटना, दिनांक- 22/8/2025

प्रतिलिपि:- आई.टी.मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट
पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



सरकार के अपर मुख्य सचिव।